संख्या 142/पी0एस0/सचिव (प्र0)/2020,

प्रेषक,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

देहरादूनः दिनांकः 19 जून, 2020

विषय :– कोविड–19 के संक्रमण के सामुदायिक प्रसार से रोकथाम करने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोविड–19 संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। इसका प्रसार पूरे भारत–वर्ष में होने के साथ–साथ उत्तराखण्ड राज्य में भी इसके संक्रमण से लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में कोविड–19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के और प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नलिखित कार्य किए जाने होंगे :–

1. **बचाव :–** कोविड–19 के संक्रमण को प्रसारित होने से रोकने के लिए भौतिक/सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन किया जाना होगा। दो व्यक्तियों के बीच में न्यूनतम दो गज (छः फिट) की दूरी रखी जानी चाहिए। सभी को भीड़–भाड़ वाली जगहों में जाने से बचना चाहिए तथा अनावश्यक यात्राएं न की जायें। जन–समुदाय को इस हेतु निरन्तर विभिन्न माध्यमों से जागरूक किए जाने की भी आवश्यकता है। लोगों को घर से बाहर निकलते समय मॉस्क पहनना अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में ***अधिसूचना संख्या– 683, दिनांक 16 जून, 2020 के द्वारा विनियमावली प्राख्यापित की गई है।*** मॉस्क के इस्तेमाल से कोविड–19 के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। यदि मॉस्क उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में साफ रुमाल, गमछा तथा अन्य सूती कपड़ों का भी Face cover के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कोरोना वायरस संक्रमित वस्तुओं के आदान–प्रदान अथवा छूने से भी फैलता है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ समय अन्तराल पर साबुन एवं पानी से 40 सेकण्ड तक अथवा एल्कोहल आधारित हैण्ड सैनिटाइजर से 20 सेकण्ड तक हॉथों को साफ करना चाहिए तथा मुँह, नाक एवं आँख छूने से बचना चाहिए।

2. **रोकथाम :– उत्तराखण्ड राज्य में कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए निरन्तर प्रभावी कार्यवाही की गयी है। इस हेतु जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों के सहयोग से प्रभावी एवं कारगर उपाय किए गये हैं। कोविड–19 के वर्तमान परिवेश में इसके प्रसार को समुचित रूप से रोकने के लिए निम्न गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण करते हुए आवश्यक कार्यवाही किए जाने की अत्यन्त आवश्यकता है :–**

Scanned by CamScanner

क. कोविड–19 संक्रमण के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए संदिग्ध कोविड–19 रोगी की त्वरित पहचान किया जाना आवश्यक हो जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आशा कार्यकर्ती, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, के सहयोग से सघन एवं सक्रिय सर्विलान्स किया जाना आवश्यक है। इस सर्विलान्स के माध्यम से प्रत्येक जनपद की सम्पूर्ण आबादी को प्रत्येक 10–15 दिन के चक्र में चेक किया जाना है। सर्विलायन्स के दौरान यदि कोई व्यक्ति खाँसी, बुखार, जुखाम अथवा फ्लू के लक्षण से ग्रसित पाया जाता है तो उसे तत्काल RT-PCR जाँच के लिए संदर्भित किया जाये एवं ऐसे सभी व्यक्तियों तथा उनके परिवारजनों को इससे सम्बन्धित सावधानियाँ बरतने के लिए निर्देशित किया जाये। मॉस्क के प्रयोग एवं हैण्ड–हाइजीन के लिए भी प्रोत्साहित किया जाय।

ख. समस्त जनपदों में गत दिवसों में आए प्रवासियों को लगातार नियमानुसार क्वारंटीन किया गया है तथा उनके स्वास्थ्य की समय–समय पर जाँच भी की जा रही है। इस कार्य में ग्राम पंचायत तथा नगरपालिका/पंचायत के जन–प्रतिनिधियों और कर्मचारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाना है। जितने भी प्रवासीय राज्य में आये हैं, उनके लक्षणों की Health Worker द्वारा जाँच करते हुए उनकी नियमानुसार टेस्टिंग भी की जानी है तथा आवश्यकता पड़ने पर दी गई व्यवस्थानुसार उन्हें CCC अथवा DCHC में उपचार हेतु भर्ती भी किया जाना होगा। इनके सर्विलान्स को और अधिक प्रभावी बनाये जाने के दृष्टिगत जितने भी प्रवासी राज्य में आये हैं, उनमें से लगभग 20–25 प्रतिशत लोगों की Rapid Anti Body टेस्ट भी किया जाना चाहिए, जिससे उनके पूर्व में कोविड–19 से संक्रमित होने के बारे में पता लगाया जा सके। रैपिड एन्टी बॉडी टेस्ट के लिए हाई रिस्क श्रेणी के लोगों को वरीयता दी जाएगी, जैसे 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, अन्य रोगों से ग्रसित व्यक्ति, कैन्सर के रोगी इत्यादि। इस हेतु रैपिड टेस्ट किट सभी जनपदों में उपलब्ध करायी जा रही है। प्रत्येक जनपद में मौजूद RBSK टीम के द्वारा यह टेस्ट किया जाएगा। रैपिड टेस्ट के पॉजिटिव आने पर उस क्षेत्र का सघन सर्विलान्स किया जाएगा तथा इस दौरान जो भी व्यक्ति आई0सी0एम0आर0 की दिशा–निर्देशानुसार चिन्हित होते हैं उन्हें RT–PCR जाँच हेतु एम्बुलेन्स के माध्यम से जाँच सैम्पल कलेक्शन हेतु संदर्भित किया जाएगा।

ग. **स्वास्थ्य केन्द्र आधारित सर्विलायन्स** :– ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोग बुखार तथा फ्लू के लक्षण के साथ विभिन्न चिकित्सालयों में उपचार के लिए स्वयं भी आते हैं। हमें सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर बुखार एवं फ्लू के लक्षण के साथ आने वाले सभी रोगियों को चिन्हित करना होगा। इनमें से संभावित कोविड–19 के रोगियों को आर0टी0पी0सी0आर0 द्वारा जाँच हेतु संदर्भित किया जाना चाहिए। बुखार तथा फ्लू के समस्त रोगियों की Infection, Prevention and Control के दिशा–निर्देशानुसार Triaging की जाय तथा इस हेतु समस्त सावधानियाँ बरती जायें ताकि स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर से जन समुदाय में कोविड–19 के संक्रमण को प्रसारित होने से रोका जा सके।

Scanned by CamScanner

2. **कन्टेनमेन्ट जोन के अन्तर्गत सर्विलायन्स** :– वर्तमान में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के आदेशानुसार कोविड–19 के पॉजिटिव केस आने के साथ ही कन्टेनमेन्ट जोन चिन्हित किया जा रहा है तथा इसके अन्तर्गत मानकानुसार सभी गतिविधियाँ की जा रही हैं। कोविड–19 के सामुदायिक संक्रमण के प्रसार को प्रभावी रूप से रोकने के लिए Active सर्विलान्स किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु कन्टेनमेन्ट जोन के अन्तर्गत एक टीम बनाकर प्रतिदिन जोन के अन्दर रह रहे व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जानी चाहिए तथा पॉजिटिव व्यक्ति के हाई रिस्क कान्टेक्ट्स के साथ–साथ अन्य वे लोग जिनमें ILI या SARI से संबंधित लक्षण हैं, उनकी RT-PCR के द्वारा जाँच की जानी चाहिए साथ ही कन्टेनमेन्ट जोन में रहने वाले अन्य व्यक्तियों में से यथासंभव 20 प्रतिशत की जाँच रैपिड टेस्ट किट के द्वारा की जानी चाहिए। साथ ही कन्टेनमेन्ट जोन तथा बफर जोन के समस्त हेल्थ फैसेलिटीज, मेडिकल स्टोर आदि के द्वारा पैसिव (Passive) सर्विलान्स भी किया जाना चाहिए।

(https://www.mohfw.gov.in/pdf/Containmentplan16052020.pdf)

3. **टेस्टिंग (जाँच)** :– आई0सी0एम0आर0 के द्वारा कोविड–19 से संदिग्ध व्यक्ति की जाँच के लिए दिनांक 18/05/2020 से गाइडलाइन्स जारी की गई हैं (https://www.mohfw.gov.in/pdf/Revisedtestingguidelines.pdf) जिसका अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी संदिग्ध कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की जाँच की जानी चाहिए। आई0सी0एम0आर0 के द्वारा समय–समय पर रैपिड एन्टी बॉडी किट के द्वारा भी सर्विलान्स के लिए जाँच किए जाने के दिशा–निर्देश दिए जा चुके हैं।

4. **सम्पर्क अनुरेखण (कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग)** :– कोविड–19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी गतिविधि है। यदि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग निर्धारित समय के अन्तर्गत एवं मानकों के अनुसार की जाती है, तो कोविड–19 संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। इस हेतु राज्य स्तर से समय–समय पर निर्देश दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही उसके सम्पर्क में आये सभी व्यक्तियों जैसे–परिवार के सदस्य, कार्यस्थल के सहकर्मी, किसी यात्रा के दौरान सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति, रोजमर्रा में सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति एवं मित्रगण आदि को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए तथा इन सभी लोगों को भारत सरकार के द्वारा दिए गए दिशा–निर्देश के अनुसार "High Risk Contact and Low Risk Contact" में वर्गीकृत कर आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र की जानी है। सभी "हाई रिस्क" कॉन्टैक्ट्स को आइसोलेशन में रखा जाना चाहिए तथा उन्हें RT- PCR जाँच के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए। "लो रिस्क" कान्टैक्ट को होम क्वारंटीन में रखते हुए उनके लक्षणों की नियमित रूप से जाँच करनी चाहिए तथा बुखार व फ्लू के अन्य लक्षण आने पर उनके सैम्पल को भी RT- PCR जाँच के लिए भेजा जाना चाहिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य जनपद स्तर पर बहुत ही सावधानी एवं गम्भीरता से किया जाना चाहिए। उनके सहयोग के लिए सेटेलाइट कन्ट्रोल रूम को भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए निर्देशित किया गया है।

(मुख्य सचिव महोदय के कार्यालय आदेश संख्या 282, दिनांक 06 जून 2020)

Scanned by CamScanner

5. उपचार :– सभी कोविड–19 से संक्रमित व्यक्तियों को भारत सरकार के निर्देशानुसार तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :–

1- Asymptomatic or Mild
2- Moderate
3- Severe / Critical

Asymptomatic / Mild:-

पहली श्रेणी के मरीजों को कोविड केयर सेन्टर में रखा जाना है। इसके दिशा–निर्देश पूर्व में भी दिए गए हैं। कोविड केयर सेन्टर में एक एम्बुलेन्स (BLS) 24 घण्टे उपलब्ध होनी चाहिए। कोविड केयर सेन्टर पर स्वास्थ्य टीम के द्वारा मरीजों की नियमित रूप से जाँच होनी चाहिए तथा मरीजों को आइसोलेशन में अपने कमरे के अन्दर ही रहना चाहिए। Moderate लक्षण वाले मरीज या साँस लेने में तकलीफ होने पर मरीज को डी0सी0एच0सी0 (Dedicated Covid Health Centre) में भर्ती किया जाना चाहिए। जहां चिकित्सकों के द्वारा स्टैण्डर्ड गाइड लाइन्स के अनुसार मरीज का इलाज किया जाना चाहिए। DCHC में एक एम्बुलेन्स (ALS) 24 घण्टे उपलब्ध होनी चाहिए। Severe/Critical लक्षण वाले मरीज या Moderate लक्षण वाले मरीज की हालत बिगड़ने पर इन्हें आई0सी0यू0 स्थित हॉस्पिटल (डी0सी0एच0) में एम्बुलेन्स के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। यहाँ पर रोगी की अवस्था को देखते हुए चिकित्सकों द्वारा आवश्यक उपचार किया जाएगा। उपचार समाप्त होने पर भारत सरकार की "**Revised Discharge Policy**' (https://www.mohfw.gov.in/pdf/ReviseddischargePolicyforCOVID19.pdf) के अनुसार मरीजों को डिस्चार्ज किया जाएगा और उसके पश्चात् उन्हें 07 दिन होम आइसोलेशन में रहना अनिवार्य होगा। किसी व्यक्ति के घर पर आइसोलेशन की सुविधा न होने की स्थिति में उसे 07 दिन के लिए कोविड केयर सेन्टर में रखा जाएगा। *सचिव (प्रभारी), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का पत्रांक 133 दिनांक 08 जून, 2010)*

6. **डेड बॉडी मैनेजमेन्ट या कोविड से मृत शरीर का प्रबन्धन :–** इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गये हैं। दुर्भाग्यवश किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके मृत शरीर का प्रबन्धन दिए गए दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा। उचित होगा यदि प्रत्येक जनपद में कोविड पॉजिटिव मरीजों के लिए अंतिम संस्कार हेतु एक निर्धारित स्थान का चयन किया जाये, जिससे मृत व्यक्ति की सम्मान और Dignity के साथ उसकी अन्त्येष्ठि की जा सके।
https://www.mohfw.gov.in/pdf/1584423700568 COVID19GuidelinesonDeadbodymanagement.pdf

Scanned by CamScanner

जन जागरूकता एवं IEC अभियान :– आप अवगत हैं कि कोविड–19 संक्रमण से बचाव के लिए जन जागरूकता नितान्त ही आवश्यक है तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर जन सामान्य को सही जानकारियों एवं दिशा–निर्देशों से अवगत कराया जाना अनिवार्य है। अतः सभी उपलब्ध प्रचार–प्रसार माध्यम का प्रयोग करते हुए कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के तरीके जन सामान्य तक पहुंचाया जाय। साथ ही राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर इस हेतु किये जा रहे प्रयासों की जानकारी भी जन सामान्य को उपलब्ध कराया जाय। प्रत्येक दिवस जनपद से सम्बन्धित सभी अपडेट्स एक प्रेस नोट के माध्यम से सभी मीडियाकर्मियों को उपलब्ध करायी जाय।

8. जन सहभागिता :– कोविड–19 के संक्रमण के प्रसार की इस महायुद्ध में हमें सभी निर्वाचित जन–प्रतिनिधियों, गैर सरकारी संस्थओं,, पूर्व सैनिकों, NCC, NSS, स्वयंसेवी संस्थाओं तथा वालिन्टियर आदि का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। जनपद स्तर पर आपके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों तथा संगठनों को सूचीबद्ध कर उनकी मानकानुसार प्रशिक्षण करवाकर उनका सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए।

9. प्रशिक्षण (Training) :– कोविड–19 संक्रमण से बचाव के कार्य में लगे समस्त कार्मिकों की समय–समय पर मानकानुसार प्रशिक्षण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ–साथ विभिन्न सरकारी/गैर–सरकारी/स्वयंसेवी/वालिन्टियर्स, जो सर्विलायन्स, कॉन्टैक्ट्स ट्रेसिंग, टेस्टिंग, क्वारंटीन सेंटर, सी0सी0सी0, डी0सी0एच0सी0, डी0सी0एच0 या अन्य किसी स्थान पर किसी भी कार्य हेतु लगाये गये हैं, उन सभी की नियमित रूप से प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। (इसमें कार्यरत डेटा इन्ट्री ऑपरेटर तथा नोडल अधिकारियों को सही तरीके से डेटा इन्ट्री/पोर्टल एवं ऐप आदि की पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए तथा उनकी भी इस हेतु प्रशिक्षण कराया जाना चाहिए।) इन सभी कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाये। (*सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय आदेश संख्या – 424, दिनांक 26 मई, 2020)*

10. रिपोर्टिंग (Reporting) :– उपरोक्त वर्णित समस्त गतिविधियों की सतत समीक्षा के लिए नियमित एवं रियल टाइम रिपोर्टिंग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः रिपोर्टिंग के लिए जनपद स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी लगाया जाय। उनकी सहायता के लिए इस हेतु पर्याप्त संख्या में डेटा इन्ट्री ऑपरेटर अथवा अन्य आवश्यक कार्मिकों की भी तैनाती सुनिश्चित की जाय। महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रतिदिन जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से भी समीक्षा की जानी चाहिए। समस्त जनपदों द्वारा अपने डेटा को कोविड पोर्टल पर रियल टाइम अपडेट करना है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी रिपोर्ट ई–मेल के माध्यम से ई–मेल आई0डी0 covid19statewarromuk@gmail.com तथा idsputtarakhand@gmail.com पर प्रेषित किया जाना चाहिए।

Scanned by CamScanner

11. आवश्यक सामग्री/मशीनें/उपकरण आदि की उपलब्धता :– कोविड–19 के संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक सभी सामग्री का मूल्यांकन करते हुए उसके अगले दो हफ्ते की प्रोजेक्टेड डिमाण्ड तथा एक महीने, दो महीने और तीन महीने की प्रोजेक्टेड डिमाण्ड का आकलन कर लेना चाहिए तथा जो सामग्री स्थानीय बाजारों से जिलाधिकारी स्तर या मुख्य चिकित्साधिकारी स्तर से क्रय की जा सकती है, उनका क्रय कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। शेष सामग्री की आपूर्ति के लिए सम्यक माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य अथवा अन्य सक्षम स्तर पर प्रस्ताव प्रेषित किया जाना चाहिए।

12. राज्य सरकार द्वारा Clinical Management हेतु Doon Medical College को Centre of Excellence के रूप में नामित किया गया है। आपसे यह अपेक्षा है कि आपके Physician लगातार शासन स्तर से नामित Nodal Officer के सम्पर्क में रहें एवं Latest Covid Clinical Practices के अनुरूप कार्य करें।

(सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय आदेश संख्या 473, दिनांक 17 जून, 2020)

अतः उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपने–अपने जनपद में कोविड–19 के संक्रमण के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए उपरोक्तानुसार समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्याः 142 /पी0एस0/ COVID-19 /2020 तद् दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आई0डी0एस0पी0, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

14/6/20

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

Scanned by CamScanner